न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 122/2016 ई.रे.

1– वालीबाई पत्नी उदा डांगी नि. सेमलिया तह. बडीसादडी

—वादीया

बनाम

1– उदा पिता गोपाल डांगी नि. सेमलिया तह. बडीसादडी

2– बी.सी.के.जी. बैंक पारसोली

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0टै0एक्ट

// निर्णय // दिनांक :– 31/07/2025

प्रकरण में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2016 को निर्णय पारित किया गया जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई जहां से यह पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित की गई तथा अपने आदेश मे दिवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 का अनुसरण करते हुए निर्णय पारित करने के संबंध मे उल्लेख किया गया जिस पर यह पत्रावली में पुनः सुनवाई में ली गई।

वादीया की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सेमलिया पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा की आराजी खसरा 13/3 रकबा 2.14 बिघा लगानी 4.63 रू. आराजी नं. 24/2 रकबा 7.15 बिघा लगानी 19.35 रू. आराजी नं. 134/5 रकबा 3.10 लगानी 1.25 रू., आराजी नं. 137/4 रकबा 0.09 बिघा लगानी 0.18 रू., आराजी नं. 208 रकबा 1.06 बिघा लगानी 8.13 रू. व आराजी नं. 129/3/2 रकबा 0.06 बीघा लगानी 0.08 रूपया, कुल खसरा 6, कुल क्षेत्रफल 16.00 बीघा, कुल लगानी 33.62 रूपया वाके मौजा सेमलिया, पटवार क्षेत्र लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी में स्थित है तथा वादी के नाम पर खातेदारी दर्ज है। वादीया प्रतिवादी उदा की विवाहिता पत्नी है। उनकी पुत्री प्रेमी है जिसकी शादी हो चुकी हैं, वर्णित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है। वादिया के ससुरजी की मृत्यु के बाद से वादिया व प्रतिवादी सं.1 संयुक्त काश्त कर रहे है और पैदावर ले रहे है। प्रतिवादी द्वारा प्रेमी पुत्री मिठठू जी डांगी से प्रेम विवाह कर लिया है। तथा वादिया का परित्याग कर रखा है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी होकर हिन्दू परिवार की संपत्ति है। वादिया वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा घोषित कराने की अधिकारी है तथा वादियां के हक हिस्से में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करे इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए और अन्य अभिवचनों का उल्लेख अपने वाद पत्र में किया ।

वादिया का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी उदा की ओर से जवाबदावा पेश किया जाकर वादिया के वाद के अभिवचनों को नकारा जाकर उल्लेखित किया गया की वादग्रस्त आराजी मे वादिया का कोई हक नहीं है, प्रतिवादी उदा द्वारा वादिया का भरणपोषण किया जा रहा है। वादिया किसी प्रकार की सहायता पाने की अधकारी नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादी बैंक की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ है तथा जवाब बंद किया जा चुका हैं।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई।

1– आया वाद प की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/2 हक होने से वादीया उस हक की घोषणा कराने की अधिकारी हैं । –वादीया

2– आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर काबिज होने से वादीया प्रतिवादी नं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराने की अधिकारी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादड़ी

३– आया वादीया का प्रतिवादी नं. 1 के खातेदारी की जमीन में वादीया का कोई हक व अधिकार नहीं है

– प्रतिवादी

प्रकरण मे वादिया की ओर से स्वयं को गवाह श्रीलाल को, लक्ष्मण को परिक्षीत कराया तथा वादियां की ओर से अपने वाद के समर्थन मे दस्तावेज जमाबंदी प्रदर्श एक, जमाबंदी पुरानी प्रदर्श दो, लिखपढी प्रदर्श 3 फोटोकॉपी प्रदर्श 3 ए प्रदर्शित कराई।

प्रतिवादी उदा की ओर से प्रतिवादी उदा द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया तथा प्रतिवादी सं. 2 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई।

प्रकरण मे बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया और माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय का अनुसरण किया गया।

प्रकरण में वकील वादी द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया की प्रतिवादी उदा वादिया का पति है तथा प्रतिवादी उदा की संपत्ति में हित निहित है और संपत्ति पैतृक होना प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित हो रहा है। प्रतिवादी उदा स्वयं द्वारा भी लिखित दस्तावेज के जरिए वादिया का हित भूमि में निहित होना माना हैं। वादियां मौके पर काबिज है और काश्त कर रही हैं। हिन्दु विधि के अनुसार वादिया का वादग्रस्त संपत्ति मे हित निहित है और अन्य साक्षीगण द्वारा वादियों के कथनों का समर्थन किया गया है। वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर 1/2 हिस्से का मालिक घोषित किया जाए और स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए।

इसके विपरीत प्रतिवादी उदा के अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी उदा जीवित है तथा जिवित समय में वादियां को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादिया सक्षम वारिस हो सकती है लेकिन प्रतिवादी उदा के जिवित समय में भूमि में अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है। प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि दस्तावेज प्रदर्श तीन ए को जो प्रस्तुत किया गया है उसमें भी प्रतिवादी के जिवित समय में वादिया का नाम दर्ज कराने का उल्लेख नहीं है बल्कि यह अंकित है कि वाद ग्रस्त भूमि में प्रतिवादी उदा ही खेती का कार्य करेगा तथा आधी पैदावर वादी को दी जायेगी। ऐसी परिस्थिति मे वादिया का वाद खारीज किया जाए।

प्रकरण में तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार की जाती है:–

तनकी संख्या एक

आया वाद पत्र की कलम नम्बर 1 मे वर्णित आराजीयात में वादिया का 1/2 हक होने से वादिया उक्त हक की घोषणा कराने की अधिकारी है। जिम्मे वादिया

हमारे द्वारा संपूर्ण वाद के अभिवचनों, प्रतिवादी के जवाब दावा और संपूर्ण साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। यह बात तो सही है कि वादग्रस्त भूमि उदा की पैतृक भूमि है लेकिन दस्तावेज तीन ए जो दिनांक 19.05.1998 को संपादित हुआ है जिसके संबध में कोई विरोधाभास नहीं है का अवलोकन करने से यह बात निकल कर आती है कि प्रतिवादी उदा द्वारा दूसरा विवाह किया गया तथा वादिया व प्रतिवादी उदा की दूसरी पत्नी द्वारा साथ–साथ निवास किया गया हैं। इस दस्तावेज के समग्र अध्ययन से यह बात निकल कर आती है कि प्रतिवादी उदा द्वारा वादिया के भरण पोषण का जिम्मा और अपनी भूमि में 1/2 हिस्से का अधिकारी अवश्य बताया है तथा 1/2 हिस्से की पैदावार भी देने का कथन किया गया है लेकिन उपरोक्त दस्तावेज में जिवित समय में 1/2 हिस्से की मालिक वादिया बन जायेगी। यह कथन कही पर भी उल्लेखित नहीं कियां गया हैं। हमारे द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का भी अवलोकन किया उसमें उल्लेखित अनुसूची के वर्ग एक में जो वारिस का उल्लेख किया गया है उसमें कही पर भी जिवित पत्नी के उत्तराधिकार के संबंध मे उल्लेख नहीं है हां [illegible] उत्तराधिकारी अवश्य बताया गया है तथा वादिया वर्तमान में विधवा महिला की श्रेणी में नहीं आती है। चूंकि प्रतिवादी जिवित है और खातेदार काश्तकार है इस कारण हमारे विनम्र मत में वादिया वाद ग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी नहीं पाई जाती है। जिस कारण उपरोक्त तनकी संख्या एक वादिया द्वारा प्रमाणित और पुष्ट नहीं किए जाने उपरोक्त तनकी सं. एक का निर्णय वादिया के विरूद्ध किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

तनकी नम्बर 2

आया वाद पत्र की कलम नम्बर 1 मे वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर काबिज होने से वादिया प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंन्द कराने की अधिकारी है:– जिम्मे वादिया

हमारे द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन और दस्तावेज के आधार पर यह पाया जाता है कि प्रथम तो वादिया का वादग्रस्त भूमि के नाम दर्ज नहीं है तथा प्रतिवादी उदा खातेदार काश्तकार है और दस्तावेज संख्या तीन ए से भी वादिया का मौके पर कब्जा हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तथा एक खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती क्योकि रिकॉर्ड में अंकित खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किए जाने से उसके काश्त कार्य में रूकावट पैदा होगी और वाद विविधता को बढावा मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त तनकी का निर्णय विरूद्ध वादिया किया जाता है ।

तनकी नम्बर 3

आया वादिया प्रतिवादी नम्बर 1 के खातेदारी की जमीन में वादिया का कोई हक अधिकार नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य और अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि वादिया प्रतिवादी की पत्नी है तथा एक पत्नी का अपने पति की संपत्ति मे हक अधिकार होता है लेकिन जैसा की उपर उल्लेखित किया गया है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधवा को संपत्ति मे हक प्रदान किए है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी नम्बर एक की खातेदारी भूमि में वादिया का हक अधिकार नही है यह बात अवश्य है कि वर्तमान में हक अधिकार नहीं है क्योकि प्रतिवादी उदा जिवित है लेकिन प्रतिवादी उदा के नहीं होने पर वादिया के हक अधिकार स्वतः भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की रोशनी मे स्वतः ही पैदा हो जाऐंगे। ऐसी परिस्थिति मे प्रतिवादी नम्बर एक की खातेदारी जमीन में वादिया के हक अधिकार तो है लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नहीं है, क्योकि प्रतिवादी उदा जीवित है। इस कारण वादग्रस्त भूमि में वादीया के हक अधिकार तो माने जाते है लेकिन उनका प्रभाव प्रतिवादी उदा के नहीं रहने पर पैदा होंगे। इस सब विवेचना के आधार पर उपरोक्त तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादी किया जाता है।

निर्णय

तनकी संख्या एक व दो का निर्णय विरूद्ध वादिया किए जाने से वादीया का वाद में अंकित कोई सहायता पाने की अधिकारी नहीं होने से वादिया का वाद अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। डिक्री मुर्तिब किया जाए।

निर्णय आज दिनांक 31/07/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 122/2016 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

1– वालीबाई पत्नी उदा डांगी नि. सेमलिया तह. बडीसादडी

—वादीया

बनाम

1– उदा पिता गोपाल डांगी नि. सेमलिया तह. बडीसादडी

2– बी.सी.के.जी. बैंक पारसोली

–प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री आर.एस. पुजारी तथा प्रतिवादी ओर से श्री विजय मोगरा की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा सेमलिया पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा की उक्त प्रकरण संख्या से संबंधित वादग्रस्त आराजीयात का दावा सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

इस वाद के खर्चे ... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ... को दी जावे।

यह आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:19 IST
Reason: SelfAttested